न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 10/2014

1/1 रामसिंह आयु करीब 55 साल पुत्र स्व. ओमाराम जाति जाट पेशा खेती निवासी अलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं राज.।
2 मृतक श्रीमती मनकोरी पुत्री स्व. जगनाराम पत्नी स्व. ओमाराम जाति जाट पेशा खेती निवासी खोहरी व निवासी अलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं राज.। नोट–दौराने अपील दिनांक 29.09.2019 को देहान्त हो गया।
2/1 जलेसिंह आयु 52 साल
2/2 गुलझारी आयु 50 साल पुत्रगण स्व. ओमाराम व स्व. श्रीमती मनकोरी जाति जाट निवासी खौहरी तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
2/3 बुद्धराम आयु 48 साल
2/4 मनीराम आयु 46 साल
2/5 गोपीराम आयु 44 साल
2/6 विजय कुमार आयु 41 साल पुत्रगण स्व. ओमाराम व स्व. श्रीमती मनकोरी जाति जाट निवासी खौहरी तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
2/7 श्रीमती गिन्नी देवी आयु 58 साल पुत्री स्व. ओमाराम पत्नी पृथ्वीसिंह जाति जाट निवासी बजावा सुरो का तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
3 श्रीमती सरबती आयु करीब 61 साल पुत्री स्व. जगनाराम पत्नी स्व. रामकुमार जाति जाट पेशा खेती निवासी खीचड़ों का बास उर्फ आभापुरा तहसील तारानगर जिल चुरू व निवासी अलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं राज.।
4 श्रीमती चुकिया आयु 68 वर्ष पुत्री स्व. जगनाराम पत्नी स्व. किशनाराम जाति जाट पेशा खेती निवासी ककड़ेऊ खुर्द व निवासी अलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं राज.।

अपीलांटस

बनाम

1/1 श्रीमती रामादेवी आयु 74 साल पत्नी स्व. ईशरराम
1/2 धर्मपाल आयु 49 साल पुत्र स्व. ईशरराम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

1/3 बंशीधर आयु 44 साल पुत्र स्व. ईशरराम
1/4 मनीराम उर्फ पप्पु आयु 39 साल पुत्र स्व. ईशरराम जाति जाट पेशा खेती निवासी अलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं राज.।
1/5 श्रीमती सावित्री आयु 52 साल पुत्री स्व. ईशरराम पत्नी श्योनारायण जाति जाट निवासी बाजला तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
1/6 श्रीमती परमेश्वरी आयु 41 साल पुत्री स्व. ईशरराम पत्नी विद्याधर जाति जाट निवासी किठाना तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
2 श्रीमती चाना आयु 82 साल पत्नी स्व. घासीराम उर्फ घड़सीराम जाति जाट निवासी अलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
3 श्रवण कुमार आयु 50 साल
4 पवन कुमार आयु 47 साल पुत्रगण स्व. घासीराम उर्फ घड़सीराम जाति जाट निवासी अलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
5 श्रीमती संतोष आयु 56 साल स्त्री स्व. रामसिंह
6 श्रीमती बिमला आयु 54 साल पत्नी स्व. निहालसिंह
7 श्रीमती भागोती आयु 52 साल पत्नी फुलाराम पुत्रीगण स्व. घासीराम उर्फ घड़सीराम जाति जाट निवासी डोकुआ तहसील राजगढ़ जिला चुरू राज.।
8 मृतका श्रीमती रूकमणी आयु 74 साल पत्नी स्व. राजुराम जाति जाट निवासी अलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं। –नोट दौराने अपील दिनांक 10.11.2015 को देहान्त हो गया।
9 राजस्थान सरकार भूमि अधिकारी जरिये तहसीलदार तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
10 तहसीलदार मलसीसर जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

प्रथम अपील अ.धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रथम अपील खिलाफ निर्णय व डिक्री दिनांक 15.01.2014 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर दावा उनवानी मृतक श्रीमती धापा आदि बनाम मृतक ईशरराम आदि दावा घोषणा, बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा दावा संख्या (426/1993 व 108/2002) व 350/2013

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
झीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री संदीप काजला, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री महिपाल सिंह , अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 2/4/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर द्वारा मुकदमा नम्बर (426/1993 व 108/2002) व 350/2013 में पारित निर्णय दिनांक 15.01.2014 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं में मृतका श्रीमती धापादेवी पत्नी स्व. जगनाराम उर्फ जयनारायण उर्फ जगनाथ जाति जाट निवासी अलसीसर व अपीलान्टस नम्बर 2 से 4 ने मृतक ईशरराम पुत्र स्व. पूर्णमल जाति जाट निवासी अलसीसर व रेस्पोडेन्टस नम्बर 2 से 10 के खिलाफ दावा उनवानी श्रीमती धापा आदि बनाम ईशर आदि दावा घोषणा, बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा मु. नं. 426/1993 किया। जिसका बाद में मु.नं. 108/2002 दर्ज किया गया। दौराने दावा प्रतिवादी नम्बर 1 ईशरराम का देहान्त हो जाने पर उसके विधिक प्रतिनिधिगण को प्रतिवादीगण नम्बर 1/1 से 1/6 बनाया गया जो अपील में रेस्पोडेन्ट नम्बर 1/1 से 1/6 है। दौराने दावा वादिया नम्बर 1 श्रीमती धापा को देहान्त हो जाने पर उसकी वसीयत के आधार पर उसका विधिक प्रतिनिधि वादी नम्बर 1/1 बनाया गया जो अपीलान्ट नम्बर 1/1 है। अपीलान्टस/वादीगण की ओर से जमीन गत खसरा नम्बर 99 रकबा 30 बीघा 1 बिश्वा व गत खसरा नम्बर 97 रकबा 32 बीघा 17 बिश्वा वाके ग्राम अलसीसर के बाबत दावा किया गया। गत खसरा नम्बर 99 की आधी पूर्वी जमीन का हाल खसरा नम्बर 162 रकबा 3.80 हैक्टेयर व आधी पश्चिमी जमीन खसरा नम्बर 138 रकबा 3.80 हैक्टेयर वाके ग्राम अलसीसर है। जमीन गत खसरा नम्बर 97 के हाल खसरा नम्बर 161 रकबा 4.00 हैक्टेयर, हाल खसरा नम्बर 165 रकबा 4.31 हैक्टेयर वाके ग्राम अलसीसर है। उक्त जमीन पहले जगनाराम, राजुराम,

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

पूर्णमल, लादुराम पुत्रगण दयालाराम जाति जाट निवासी अलसीसर की टिनेन्सी का कथन कर विभाजन माह जेठ बदी 1 संवत 2008 में होने का कथन किया गया व इस विभाजन को मान्यता दी जाकर अपीलान्टस/वादीगण ने जमीन गत खसरा नम्बर 99 रकबा 30 बीघा 1 बिश्वा में से पूर्व की तरफ की आधी जमीन 15 बीघा हाल खसरा नम्बर 162 रकबा 3.80 हैक्टेयर की टिनेन्सी की घोषणा की सिद्धि चाही व इसके साथ यह सिद्धि भी चाही की बंटवारा को मान्यता न दी जा सके तो उक्त कुल जमीन में अपीलान्टस/वादीगण का 1/4 हिस्सा घोषित कर बंटवारा कर दिया जावे व स्थायी निषेधाज्ञा की सिद्धि चाही। वादीगण/अपीलान्टस ने दस्तावेज प्रदर्श 1 से प्रदर्श 27 पेश किये। जबानी साक्ष्य में पी.डब्ल्यू 1 वादी रामसिंह, पीडब्ल्यू 2 वादी श्रीमती चुकिया, पीडब्ल्यू 3 मोतीराम उर्फ मोतीलाल, पीडब्ल्यू 4 जयसिंह के बयान करवाये। पीडब्ल्यू 4 जयसिंह से रेस्पोडेन्ट ने कोई जिरह नहीं की। रेस्पोडेन्टस की ओर से बतौर गवाह कोई उपस्थिति नहीं हुआ और न ही किसी गवाह को पेश किया गया व न ही कोई भी दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गये। दिनांक 01.10.2013 को रेस्पोडेन्टस नम्बर 1/1 से 8 के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की गयी। निर्णय में विचारण न्यायालय ने विवाद बिन्दु संख्या 4, 5, 6 व 7 को रेस्पोडेन्ट के खिलाफ तय किया गया है। विवाद बिन्दु संख्या 2 अपीलान्टस/वादीगण के खिलाफ तय कर जमीन हाल खसरा नम्बर 138 रकबा 3.80 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 162 रकबा 3.80 हैक्टेयर में ही विधि विरूद्ध 1/5 हिस्सा वादीगण/अपीलान्टस को घोषित कर बंटवारे के लिये प्राथमिक डिक्री जारी की। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर के निर्णय व डिक्री दिनांक 15.01.2014 को अपास्त करवाने के लिये व दावा डिक्री करवाने के लिये अपीलान्टस की ओर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने अपीलान्टस/वादीगण की दस्तावेजी सबूत प्रदर्श–1 से प्रदर्श–27 का अवलोकन व विवेचन किये बिना ही निर्णय व डिक्री पारित करने में भूल की है। विचारण न्यायालय ने जमीन गत खसरा नम्बर 99 रकबा 30 बीघा 1 बिश्वा में किस पक्षकार का कितना हिस्सा बंटवारे के लिये है। यह तय नहीं किया व गत खसरा नम्बर 97 रकबा 32 बीघा 17 बिश्वा में अपीलान्टस/वादीगण के हक हिस्सा क्यों नहीं है। यह

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

भी तय नहीं किया व किस आधार पर किसकी खातेदारी है यह भी तय नहीं किया। संयुक्त हिन्दु परिवार का विभाजन न मानने व संपत्ति का विभाजन न मानने का आधार दर्ज नहीं किया गया। इस प्रकार विचारण न्यायालय का निर्णय व डिक्री खिलाफ कानून होने से खारिज होने योग्य है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर ने विवाद बिन्दु संख्या 1 को आंशिक रूप से वादीगण/अपीलान्टस के खिलाफ तय करने में भुल की है। गोद के बाबत विवाद बिन्दु सं. 3 भी अपीलान्टस/वादीगण के खिलाफ तय करने में भुल की है। दावें में यह दर्ज किय गया कि दयालाराम के पूर्णमल, लादुराम, राजुराम व जगनाराम उर्फ जयनारायण उर्फ जगनाथ लड़के हुये थे। इन तथ्यों को जवाब दावे में इन्कार नहीं किया। मृतका श्रीमती धापा की ओर से यह दर्ज किया गया कि उसने या उसके पति ने घासीराम उर्फ घड़सीराम को कभी भी गोद नहीं लिया। रेस्पोडेन्ट ने जवाब दावे में गिविंग एण्ड टेकिंग का दस्तुर प्लीड नहीं किया। मृतका वादिया श्रीमती धापा देवी का कोई ऐसा कार्य नहीं बताया जो गोद में शामिल हो। इस प्रकार गोद के बाबत जवाब दावा में उक्त तथ्य दर्ज नहीं है। यह भी दर्ज नहीं है कि गोद कौनसे साल या महिने में लिया गया। गोद के बाबत प्रतिवादीगण में से बतौर साक्षी उपस्थित नहीं हुआ। इस कारण रेस्पोडेन्टस नम्बर 1/1 से 8 के खिलाफ अवधारणा ली जावेगी कि जवाब दावा का कथन गलत है। यह विवादित नहीं है। यह विवादित भूमि है कि पूर्णराम के लड़के ईशरराम व घासीराम उर्फ घड़सीराम न हो। यह भी विवादित नहीं है कि पूर्णमल के देहान्त हो जाने के बाद घासीराम उर्फ घड़सीराम व ईशरराम ने उत्तराधिकार में नामान्तकरण संख्या 17 दिनांक 17.06.1956 को तस्दीक करवाया। इस प्रकार घासीराम ने पूर्णमल की सम्पत्ति उत्तराधिकार में प्राप्त की व जमाबन्दी में घासीराम के पिता का नाम पूर्णमल दर्ज रहा। जिसको चुनौती नहीं दी। इस बिन्दु पर विचारण न्यायालय ने गौर नहीं किया। उक्त जगनाराम के देहान्त हो जाने के बाद नामान्तकरण दिनांक 01.06.1959 को घासीराम ने गलत दर्ज करवाया जबकि इससे पहले ही घासीराम ने अपने पिता पूर्णमल की जमीन उत्तराधिकार में प्राप्त की। इस कार्यवाही में वादीगण पक्षकार नहीं थे। इस कारण इसके आधार पर बना राजस्व रिकार्ड गलत है। घासीराम के राशनकार्ड, मतदाता सुची आदि में पिता का नाम पूर्णमल दर्ज है व इस तथ्य को जवाब दावा में इन्कार नहीं किया गया। इससे सिद्ध है कि

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

घासीराम उर्फ घड़सीराम जगनाराम का दत्तक पुत्र नहीं था। इस बिन्दु पर गौर किये बिना ही निर्णय व डिक्री पारित करने में भुल की गयी है। विवाद बिन्दु 1 वादीगण/अपीलान्टस के आंशिक खिलाफ तय करने में भुल की गयी है। पूर्णमल, राजुराम, जगनाराम व लादुराम का संयुक्त हिन्दु परिवार होना स्वीकृत स्वीकृत तथ्य है। इस संयुक्त हिन्दु परिवार का विभाजन होना भी स्वीकृत तथ्य है। जमीन गत खसरा नम्बर 97 रकबा 32 बीघा 17 बिश्वा हाल खसरा नम्बर 161 रकबा 4.00 हैक्टेयर, हाल खसरा नम्बर 165 रकबा 4.31 हैक्टेयर वाके ग्राम अलसीसर पहले माफी की जमीन थी व माफीदार से बतौर टिनेन्टस काश्त हेतु उक्त चारों भाईयों ने ली थी। खसरा गिरदावरी संवत 2008 से 2012 के इन्द्राजात से यह साबित है व यह भी साबित है कि आपसी बंटवारे में यह जमीन लादुराम व राजुराम को मिली। लादूराम अविवाहित फौत होना व उसका वारिस राजुराम होना विवादित नहीं है व राजुराम की पत्नी श्रीमती रूकमणी रेस्पोडेन्ट होना भी विवादित नहीं है। जवाब दावे में उक्त जमीन की टिनेन्सी को स्त्रोत दर्ज नहीं किया। जवाब दावे में इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि गत खसरा नम्बर 97 में 1/2 हिस्से की जमीन राजुराम व 1/2 हिस्से की जमीन लादुराम काश्त करते थे व खसरा नम्बर 99 में इनकी काश्त जवाब दावे में नहीं बतायी। जबकि राजस्व रिकार्ड में कोटिनेन्सी दर्ज थी। इस प्रकार यह स्वीकृत तथ्य हुआ कि चारो भाईयों में विवादित जमीन का बंटवारा हुआ व राजुराम व लादुराम के जमीन गत खसरा नम्बर 97 बंटवारे में आयी व पूर्णमल व जगनाराम के गत खसरा नम्बर 99 बंटवारे में आयी। इसी कारण जमीन गत खसरा नम्बर 99 में से पूर्व की हाल खसरा नम्बर 162 रकबा 3.80 हैक्टेयर को वादीगण/अपीलान्टस काश्त करते है। इस बंटवारे को मान्यता न देकर विवाद बिन्दु तय करने में भुल की है। राजस्व रिकार्ड टिनेन्सी पैदा नहीं करता। विचारण न्यायालय ने बिना उचित आधार के निर्णय व डिक्री पारित करने में भुल की है। गोद के बाबत गोदनामा भी पेश नहीं हुआ। जबानी साक्ष्य रेस्पोडेन्टस की ओर से पेश नहीं हुई। जमाबन्दी प्रदर्श 13, प्रदर्श 15 में घासीराम के पिता का नाम पूर्णमल दर्ज है। राजुराम के देहान्त हो जाने के बाद जमीन गत खसरा नम्बर 97 का राजस्व रिकार्ड के इन्द्राजात रेस्पोडेन्टस नम्बर 2 से 7 व ईशरराम ने गलत दर्ज करवा लिये। जिसका कोई आधार जवाब दावें में नहीं दिया गया। इस बिन्दु पर भी गौर नहीं

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

किया गया। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड गलत है। अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर वादीगण/अपीलान्टस का दावा डिक्री किया जाकर दावे में वर्णित बंटवारे को मान्यता दी जाकर जमीन गत खसरा नम्बर 99 में से आधी पूर्वी 15 बीघा, हाल खसरा नम्बर 162 रकबा 3.80 हैक्टेयर वाके ग्राम अलसीसर के टिनेन्टस अपीलान्टस को घोषित किया जावे व रेस्पोडेन्टस नम्बर 1/1 से 8 के खिलाफ दावे में चाही गयी स्थायी निषेधाज्ञा प्रदान की जावें व बंटवारे को मान्यता न दी जा सके तो जमीन गत खसरा नम्बर 99 रकबा 30 बीघा 1 बिश्वा हाल खसरा नम्बर 138 रकबा 3.80 हैक्टेयर, हाल खसरा नम्बर 162 रकबा 3.80 हैक्टेयर, गत खसरा नम्बर 97 रकबा 32 बीघा 17 बिश्वा, हाल खसरा नम्बर 161 रकबा 4.00 हैक्टेयर, हाल खसरा नम्बर 165 रकबा 4.31 हैक्टेयर वाके ग्राम अलसीसर में अपीलान्टस का 1/4 हिस्सा घोषित कर बंटवारे के लिये प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर पालना होने पर अंतिम डिक्री जारी की जावे व विवादित जमीन को हस्तान्तरण न करने अकृषि में न बदलने व अपीलान्टस को बेदखल न करने के लिये स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में एआईआर 1999(एससी) पेज 1441, आरबीजे 2019 (एससी) पेज 617, आरएलडब्ल्यू 2007(1) राज पेज 134, आरबीजे 1998 पेज 207, आरबीजे 2000 पेज 229, आरबीजे 2022 पेज 138, आरबीजे 2021 पेज 114, डीएनजे 1995 (एचसी) पेज 63 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि नामान्तकरण संख्या 117 दिनांक 01.06.1959 द्वारा जगनाराम उर्फ जगन्नाथ को फौती नामान्तकरण दतक पुत्र के रूप में घड़सीराम उर्फ घासीराम के पक्ष में तस्दीक किया जाकर मृतक जगनाराम उर्फ जगन्नाथ का सम्पूर्ण हिस्सा का खातेदार घड़सीराम उर्फ घासीराम को घोषित किया गया। उक्त नामान्तकरण संख्या 117 दिनांक 01.06.1959 को तस्दीक किये जाने के समय भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधान लागू थे जिसमें किसी खातेदार की मृत्यु की स्थिति उसकी विधवा एवं पुत्रियां भी सम्पति में हिस्सेदार होती है। इस प्रकार नामान्तरण संख्या 117 दिनांक 01.06. 1959 में घड़सीराम उर्फ घासीराम के साथ ही धापा बेवा जगनाराम उर्फ जगन्नाथ वादी नम्बर 1 मनकोरी पुत्री जगनाराम (वादी नम्बर 2), सरस्वती

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

पुत्री जगनाराम वादी नम्बर 03 एवं चुकिया पुत्री जगनाराम वादी नम्बर 4 का नाम थी उक्त नामान्तकरण संख्या 117 दिनांक 01.06.1959 में आना चाहिए था। इस प्रकार तत्कालीन खसरा नम्बर 99 रकबा 30.01 बीघा हाल खसरा नम्बर 138 रकबा 3.80 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 162 रकबा 3.80 कुल किता 2 कुल रकबा 7.60 हैक्टेयर में वादीगण 1 ता 4 का हिस्सा 1/5 बनता है चुकि वादी नम्बर 01 की मृत्यु हो चुकी है तथा पत्रावली में शामिल वसीयतनाम ईएक्सपी–4 से स्पष्ट है कि वादी नम्बर 1 धापा देवी जगनाराम उर्फ जगना ने अपने हिस्से की वसीयत वादी नम्बर 1/1 रामसिंह पुत्र ओमाराम जाट के पक्ष में की है। अतः वादीगण 1/1, 2, 3 व 4 का संयुक्त हिस्सा खसरा नम्बर 138, 162 कुल रकबा 7.60 हैक्टेयर में 1/5 बनता है। पत्रावली में शामिल मय 10 नामान्तकरण संख्या 183 दिनांक 16.04.1960 के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी का खसरा नम्बर 97 रकबा 32.17 बीघा नामान्तकरण संख्या 178 द्वारा राजकीय घोषित हुई। पूर्व में इस पर कजौड़ा पुत्र ईशर कौम चमार काश्त करता था जिसके काश्त तर्क करने पर राजूराम व लादूराम पि. दयालाराम जाति जाट की खातेदारी दर्ज हुई। इस प्रकार विवादित आराजी का खसरा नम्बर 97 तो 1960(संवत 2017) में वादीगण के पूर्वजों की खातेदारी में आयी। पुनः वादीगण ने आपसी सहमति से बंटवारा बाबत कोई दस्तावेज भी न्यायालय में पेश नहीं किया है। मच 1 राशन कार्ड संख्या 282 के आन्तरिक पृष्ठों पर माह एव सन जनवरी 1990 जुलाई 1987, सितम्बर 1987, नवम्बर 1987 आदि दर्ज है इससे साबित है कि यह राशन कार्ड 1987 के आसपास बनाया गया है। जब कि वादीगण अपने वादपत्र में जगनाराम की मृत्यु सन 1958 में होने का कथन लेकर आये है तथा जगनाराम का फौती नामान्तकरण संख्या 117 दिनांक 01.06.1959 को तस्दीक हुआ है। अतः उक्त राशन कार्ड जगनाराम की मृत्यु के बाद बनाया गया है। रसीद संख्या 27/3243, 28/13166, 18/3650, 35/14150 गिरदावरी स्लिम संवत 2012 लगान रसीद संख्या 18/15401, 33/11945, 46/30392, 77/8436 जलदाय विभाग की रसीद संख्या दिनांक 16.05.1987, जलदाय विभाग के बिल संख्या 263/16.10.83, रसीद संख्या 320 दिनांक 11.11. 80 रीसद ग्राम पंचायत अलसीसर संख्या 240 दिनांक 24.03.82 बैंक ऑफ बड़ौदा स्लिप दिनांक 10.03.98 झुन्झुनू केन्द्रीय सहाकरी बैंक का ऋण राहत योजना 1990 का प्रमाण पत्र ग्राम सेवा सहकारी समिति अलसीसर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

की रसीद संख्या 37542, 508827, 141551..... 62741 एवं अन्य दस्तावेजो के घड़सीराम उर्फ घासीराम जाति जाट की वल्दीयत जगनाराम दर्ज है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्य का तनकीवार विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में वाद कथन व जवाब दावे के आधार पर कुल 7 तनकीयात कायम की गई थी। विचारण न्यायालय में साक्ष्य में वसीयतनामा प्रदर्श–4 प्रस्तुत किया गया है। इस वसीयतनामें के गवाहों को साक्ष्य में प्रस्तुत कर इसे सत्यापित नहीं करवाया गया है। पत्रावली में प्रस्तुत नामान्तकरण संख्या 17 प्रदर्श–12, नामान्तकरण संख्या 117 प्रदर्श–16, नामान्तकरण संख्या 183 प्रदर्श–10, नामान्तकरण संख्या 113 प्रदर्श–9, नामान्तकरण संख्या 647 प्रदर्श–8, नामान्तकरण संख्या 503 प्रदर्श–7 एवं निर्वाचक नामावली प्रदर्श–25, 26 परिवार राशन कार्ड प्रदर्श–2, 3 का विचारण न्यायालय ने तनकीयात में कोई विवेचन नहीं किया है। स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का तनकीवार विस्तृत विवेचन किये बिना सरसरी तौर पर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनकर पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का विधि के परिप्रेक्ष्य में तनकीवार विस्तृत विवेचन कर गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.04.2025 को उपस्थिति देवें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

निर्णय आज दिनांक 2/4/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर